

महवा मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज  
 बनाम राजनी लाल  
 मु. सं. 16/19 द्वा

नम्बर व तारीख  
 अहकाम जो इस  
 हुक्म की तामील  
 में जारी हुए

आज पत्रावली पेश हुई। कोदमा  
 व उनके वकील को आवाज लगवाई गया।  
 किन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली  
 इन्जाल में राखवाई गया। इसके बाद  
 न्यायालय समझ समझ से पूर्व कई बार  
 रोक-रुक कर आवाज लगवाई गई किन्तु  
 कोई उपस्थित नहीं हुआ। इससे ऐसा  
 प्रतीत होता है कि कोदमा अपने चाद  
 को चलाने में मत्त नहीं है। अतः  
 कोदमा का चादपत्र कोदमा को अदम  
 हाजरी व अदम पैली में खीज किया  
 जाना है। पत्रावली फसल शुमा होकर  
 नम्बर दे कम हो।

आदेश सुनाया गया

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 महवा जिला दौसा